धन-कर

धारा 2 का संशोधन।

74. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1957 का 27

(क) खंड (गक) में,—

(i) "सुसंगत अधिकारिता निहित है और ऐसा" शब्दों के पश्चात्, "अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) खंड (टक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 25 अगस्त, 1976 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(टक) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे 1976 का 80
सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ।' ।

धारा 22क का संशोधन।

75. धन-कर अधिनियम की धारा 22क में 1 जून, 2007 से,—

(क) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "मामला" से इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है जो उस तारीख को, जिसको धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो :

परंतु,—

(i) धारा 17 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कोई कार्यवाही ;

(ii) धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण करने की कार्यवाही;

(iii) निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कोई कार्यवाही, जो धारा 37क के अधीन किसी तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर ली गई हो,

इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, उस दशा में, जहां धारा 17 के अधीन कोई सूचना, जो धारा 37क के अधीन तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर जारी नहीं की गई है, उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 17 के अधीन सूचना जारी की जाती है;

(ii) परंतुक के खंड (ii) में निर्दिष्ट नया निर्धारण करने की कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 के अधीन निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने का आदेश पारित किया गया था;

(iii) परंतुक के खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, धारा 37क के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी;

(iv) परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण की कार्यवाही, निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई और उस तारीख को समाप्त हुई, जिसको निर्धारण किया जाता है, समझी जाएगी;";

(ख) खंड (च) में, "अध्यक्ष अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य भी है जो न्यायपीठ के सदस्यों में से ज्येष्ठतम है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22ग का संशोधन।

76. धन-कर अधिनियम की धारा 22ग में, 1 जून, 2007 से,—

(i) उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे धन-कर और उस पर ब्याज का, जिनका, यदि वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष धन की विवरणी में घोषित की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय नहीं कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है ।";

(ii) उपधारा (1क) में "और धारा 22घ की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां आवेदन में प्रकट किया गया धन केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है, वहां,—

(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो आवेदन में प्रकट की गई रकम पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा धन शुद्ध धन हो;

(ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी दी है तो विवरणी में उल्लिखित शुद्ध धन के और आवेदन में प्रकट किए गए धन के योग पर धन-कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग शुद्ध धन हो ।";

(iv) उपधारा (1ग) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(v) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा ।"।

धारा 22घ का संशोधन।

77. धन-कर अधिनियम की धारा 22घ में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, आवेदक को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक को सुनने के पश्चात् समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगाः

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।";

(ii) उपधारा (2क), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग) और उपधारा (2घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किंतु इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन से ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे आवेदन में प्रकट किए गए धन पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 जुलाई, 2007, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने के आदेश की तारीख समझी जाएगी ।

(2ख) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत जो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस तारीख से जिसको आवेदन किया गया था, तीस दिन के भीतर; या

(ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत जो उस उपधारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, 7 अगस्त, 2007 को या उससे पूर्व,

आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा ।

(2ग) जहां उपधारा (2ख) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सामग्री के आधार पर और रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, प्रश्नगत आवेदन को, अविधिमान्य घोषित कर सकेगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजेगाः

परंतु कोई आवेदन तब तक अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया होः

परंतु यह और कि जहां आयुक्त ने रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं दी है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले पर आगे कार्यवाही करेगा ।

(2घ) जहां धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने से ठीक पहले, आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने वाला कोई आदेश, 1 जून, 2007 से पूर्व पारित किया गया है, किंतु उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा इनमें संशोधन के ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व पारित नहीं किया गया था वहां ऐसा आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि ऐसे आवेदन में घोषित की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय, समझौता आयोग द्वारा अनुदत्त किसी समय विस्तारण के होते हुए भी, 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है ।";

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत जिसे उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है; या

(ii) उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदन की बाबत जिसको उस उपधारा के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है,

आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में आगे कोई जांच या अन्वेषण आवश्यक है, वह आयुक्त को आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय पर तथा मामले से संबंधित किसी अन्य विषय की ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने के लिए और रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना भी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(4) अभिलेख और आयुक्त की,—

(i) उपधारा (2ख) या उपधारा (3), या

(ii) उपधारा (1) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें किए गए संशोधन से ठीक पहले थे,

के अधीन दी गई रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा के पश्चात् और आवेदक तथा आयुक्त को, व्यक्तिगत रूप से अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे और साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जो उसके समक्ष रखा जाए या उसे अभिप्राप्त हो, समझौता आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार,, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय पर या मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय पर,, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं है, किंतु उसका आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख है, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(4क) समझौता आयोग,—

(i) उपधारा (2क) या उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व ;

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से जिसमें आवेदन किया गया था, नौ मास के भीतर,

उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।";

(iv) उपधारा (6क) में, "पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 22घघ का संशोधन।

78. धन-कर अधिनियम की धारा 22घघ की उपधारा (2) के परंतुक में, ",किन्तु बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों का 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा ।

धारा 22ङ का संशोधन।

79. धन-कर अधिनियम की धारा 22ङ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

धारा 22च का संशोधन।

80. धन-कर अधिनियम की धारा 22च की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां समझौता आयोग को उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगीः

परंतु यह और कि जहां —

(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई आवेदन धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर कर दिया

जाता है; या

(ii) किसी आवेदन को, यथास्थिति, धारा 22घ की उक्त उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या उस धारा की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है; या

(iii) किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है,

वहां समझौता आयोग को ऐसे आवेदन के संबंध में, उस तारीख तक जिसको, यथास्थिति, आवेदन को नामंजूर किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा अविधिमान्य घोषित किया जाता है या आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी ।"।

धारा 22ज का संशोधन।

81. धन-कर अधिनियम की धारा 22ज की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1860 का 45
1961 का 43

"परंतु यह और कि समझौता आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन किया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन या इस अधिनियम और आय-कर अधिनियम, 1961 से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देगा ।"।

नई धारा 22जक और धारा 22जकक का अंतःस्थापन।

82. धन-कर अधिनियम की धारा 22ज के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का उपशमन।

'22जक. (1) जहां,—

(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्, धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है; या

(ii) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए या उपधारा (2घ) के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है; या

(iii) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया गया है; या

(iv) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी अन्य आवेदन के संबंध में धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 22घ की उपधारा (4क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित नहीं किया गया है,

वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विनिर्दिष्ट तारीख को उपशमन हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख जिसको आवेदन नामंजूर किया गया था ;

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, 31 जुलाई, 2007 ;

(ग) खंड (iii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, उस मास का अंतिम दिन, जिसमें वह तारीख, आवेदन अविधिमान्य घोषित किया गया था;

(घ) खंड (iv) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको धारा 22घ की उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय परिसीमा समाप्त हो जाती है ।

(2) जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य धन-कर प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 22ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य धन-कर प्राधिकारी समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों और जानकारी या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, की गई जांच या अभिलिखित साक्ष्य के परिणामों का इस प्रकार उपयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच या साक्ष्य निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई या अभिलिखित किए गए हैं ।

(4) धारा 17क, धारा 32, धारा 35 के अधीन और उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामले में धारा 34क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, धारा 22ग के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख से ही आरंभ होने वाली और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विनिर्दिष्ट तारीख" को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

कार्यवाहियों के समापन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय।

22जकक. जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया जाता है या धारा 22ग के अधीन किया गया कोई अन्य आवेदन धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 22घ की उपधारा (4क) के अधीन उपबंधित समय परिसीमा के पूर्व पारित नहीं किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी, आवेदन करने की तारीख को या उससे पूर्व या समझौता आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय मंजूर कर सकेगा ।'।

धारा 22ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन।

83. धन-कर अधिनियम की धारा 22ट के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"22ट. (1) जहां,—

(i) धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपने शुद्ध धन की विशिष्टियों को छिपाया है; या

(ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, 1 जून, 2002 को या उससे पूर्व समझौता आयोग द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा जाता है,

वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति बाद में धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

नई धारा 42घ का अंतःस्थापन।

84. धन-कर अधिनियम की धारा 42ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

आस्तियों, लेखाबहियों, आदि के बारे में उपधारणा।

"42घ. जहां कोई लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनके अंतर्गत धन भी है, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं तो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, यह उपधारणा की जा सकेगी कि-

(i) ऐसी बहियां या अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनके अंतर्गत धन भी है, ऐसे व्यक्ति की हैं;

(ii) ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं सत्य हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और किसी स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है ।"।